बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान मंत्री
आवास योजना-ग्रामीण
Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में छूटे हुए आवास की आवश्यकता वाले ग्राम पंचायत निवासी परिवारों का नाम प्रतीक्षा सूची में जोड़ने का अवसर

- ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2022 तक सभी को आवास को लक्षित करते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का कार्यान्वयन कराया जा रहा है ।
- लाभुक परिवार का चयन प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची से किया जाता है ।
- वर्तमान प्रतीक्षा सूची सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 में आवास की आवश्यकता वाले चिन्हित किये गये परिवारों की सूची के जाँचोपरान्त पात्र परिवारों के प्राथमिकता का निर्धारण एवं ग्राम सभा के अनुमोदन से तैयार की गई है ।
- वर्तमान प्रतीक्षा सूची 7 वर्ष पूर्व के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किये जाने के कारण इन 7 वर्षों में बने नये परिवारों का नाम सूची में शामिल नहीं है ।
- कुछ ऐसे परिवार भी हो सकते हैं जिनका पूर्व में सर्वेक्षण नहीं हो सका है ।
- ग्राम पंचायत में कार्यरत ग्रामीण आवास सहायक के माध्यम से प्रतीक्षा सूची में छूटे हुए परिवारों का नाम जोड़ने के लिए विहित प्रपत्र में चिन्हित किया जा रहा है ।

प्रतीक्षा सूची में निम्न कोटि के परिवारों का नाम स्वतः जुड़ेगा :-

क) आश्रय विहीन परिवार
ख) बेसहारा/भीख मांग कर जीवन यापन करने वाले
ग) हाथ से मैला ढोने वाले
घ) आदिम जनजातीय समूह
ङ) वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर

निम्न कोटि के परिवार प्रतीक्षा सूची में नहीं जोड़े जाएँगे :-

1. मोटरयुक्त दोपहिया/ तिपहिया/ चौपहिया वाहन/मछली पकड़ने की नाव वाले परिवार
2. मशीनी तिपहिया/ चौपहिया कृषि उपकरण वाले परिवार
3. 50,000 रू० अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारक परिवार
4. वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो
5. सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार
6. वे परिवार, जिनका कोई सदस्य 10,000 रू० से अधिक प्रतिमाह कमा रहा हो
7. आयकर देने वाले परिवार
8. व्यवसाय कर देने वाले परिवार
9. वे परिवार, जिनके पास रेफ्रिजरेटर हो
10. वे परिवार, जिनके पास लैंड लाइन फोन हो
11. वे परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो और कम-से-कम एक सिंचाई उपकरण हो
12. दो या इससे अधिक फसल वाले मौसम के लिए 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि वाले परिवार
13. वे परिवार, जिनके पास 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि हो और कम-से-कम एक सिंचाई का उपकरण हो
14. वे परिवार, जिनके पास पक्का मकान हो
15. वे परिवार, जिन्हें किसी आवास योजना का लाभ मिला हो

PR No- 7163 (RDD) D. 2018-19

- उपर्युक्त के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में नाम जोड़ने के लिए पात्र परिवार अपना आवेदन प्रखण्ड विकास कार्यालय में इस निमित्त खोले गये विशेष काउन्टर पर दिनांक 30-08-2018 तक निश्चित रूप से जमा कर रसीद प्राप्त कर लें ।
- ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि एवं अन्य जन प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि अपने माध्यम से भी ग्राम पंचायत में निवास करने वाले पात्र परिवारों को अवगत कराएँ ।
- यदि किसी आवास कर्मी द्वारा एतद् संबंधी कर्तव्य की उपेक्षा की जा रही है अथवा कार्य में रूचि नहीं ली जा रही है एवं पर्याप्त सहयोग नहीं किया जा रहा है तो इस संबंध में संबंधित जिला पदाधिकारी / उप विकास आयुक्त / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से शिकायत की जा सकती है ।

सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना

अवैध शराब एवं मादक द्रव्य के सम्बंध में शिकायत टॉल फ्री नं. 18003456268 या 15545 पर करें।